ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in June 2025

महिलाओं के अधिकार और आत्मसम्मान के उद्धारकः डॉ भीमराव अम्बेडकर

प्रो. रूसीराम महानंदा, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कु. अमन, शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

मुकनायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने महिलाओं और समाज के पिछड़े और शोषित वर्ग के लोगों के अधिकार और उनके आत्म सम्मान को दिलाने के लिए एक योद्धा की तरह उनका साथ दिया। बाबा साहब एक समाज सुधारक होने के कारण उन्होंने सदैव महिलाओं के आत्म सम्मान, शिक्षा को प्राथमिकता दी। इसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहे हैं। बाबा साहेब के इन्हीं कार्यों की वजह से उनको दलित और स्त्री समाज का मसीहा कहना कुछ गलत ना था। बाबा साहब ने महिलाओं को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने व उनसे जुड़े सभी क्षेत्रों जैसे– विवाह, शिक्षा, परिवार नियोजन, तलाक, भरण–पोषण इत्यादि, को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर उस पर चिंतन कर महिला मुक्ति का आह्वान किया। सत्यता तो यह कि आज राष्ट्र और समाज में महिला सशक्तिकरण का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, असल में इसकी बुनियाद बाबा साहब ने रखी है।[1] किंतु अफसोस इस बात का है कि आज हमारा देश को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष पश्चात भी बाबा साहेब द्वारा किए गए महिला उत्थान और नारीवाद आंदोलन को सफल बनाने में जो भूमिका रही है, उससे आज भी लोग अनभिज्ञ व अनजान है। जो मान सम्मान बाबा साहब को मिलना चाहिए था, वह आज भी उनको नहीं मिला।[2]
अतः इस शोध पत्र के द्वारा महिला आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति किए गए बाबा साहेब के अथक प्रयासों का लघु शोध के रूप में अध्ययन किया गया है।

मूल शब्द –शिक्षा, अधिकार, जागरूकता, शोषण, न्याय, विवाह, परिवार नियोजन, नारीवादी, आंदोलन, इत्यादि।

परिचय

आज के समय में हम अगर एक बेहतर राष्ट्र और समाज का निर्माण होते हुए देखना चाहते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह स्त्री पुरुष समानता में विश्वास करना और उसे अमल भी करना होगा, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण और विकास संभव है। नारी सशक्तिकरण में बाबा साहब का विचार था कि किसी भी राष्ट्रीय समाज का अवलोकन या विश्लेषण इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है। विश्व में देखा जाए तो महिलाओं की आबादी पुरुष की अपेक्षा ज्यादा है। जब तक महिलाओं का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक कोई भी राष्ट्र राज्य प्रगति नहीं कर सकता।[3]

बाबा साहेब के व्यक्तित्व पर महात्मा बुद्ध और ज्योतिबा राव फुले के सामाजिक कार्यों का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। गौतम बुद्ध ने सदैव समानता का उपदेश दिया और उसका पालन भी किया। बौद्ध धर्म ऐसा इतिहास का पहला धर्म था, जिसने महिलाओं को धर्म शिक्षा लेने का अधिकार प्रदान किया। पुरुष और महिला समानता का उपदेश दिया। ज्योतिबा राव फुले ने 19वीं शताब्दी में उन्होंने भारतीय महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया था। ज्योतिबा राव बाबा साहेब के गुरु थे। बाबा साहब ने अपने गुरु की तरह ही महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। डॉ0 अम्बेडकर ने महिलाओं को समाज में अपने अधिकार व आत्मसम्मान के लिए लड़ने व समाज में अपने विशेष स्थान प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया।[4]

महानायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर (14 अप्रैल 1891–1956) का हमारे भारतवर्ष में समाज व्यवस्था राजनीति और विधि के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रहा। वे भविष्य के दृष्टा, कर्मशील एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। बाबा साहेब ने केवल भारतीय संविधान का प्रारूप ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने हमारे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन एवं स्वतंत्रता के बाद की हमारे भारतीय राजनीति व सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है।[5]

बाबा साहेब के जीवन चिंतन में एक विशेष स्थान महिला सशक्तिकरण और समाज में उनके आत्मसम्मान को बनाए रखना और शिक्षा द्वारा उनको आत्मनिर्भर बनाना भी था। उन्होंने तत्कालीन समाज के विभिन्न क्षेत्रों का गहन अध्ययन कर यह जानने का प्रयास किया कि इन सभी समस्याओं के समाधान की विशेष शर्त हमारे सामाजिक और न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की क्रांति से संभव है।[6]

बाबा साहब से पूर्व स्त्रियों की समाज में स्थिति

महात्मा गौतम बुद्ध ने सदैव स्त्रियों को सम्मान पूर्वक जीवन की व समाज में स्त्रियों की स्थिति को उन्नत और बेहतर बनाने का प्रयत्न किया। महात्मा बुद्ध स्त्रियों को बौद्धिक व चारित्रिक किसी भी

दृष्टि से हीन नहीं समझते थे। गौतम बुद्ध ने समाज की सभी महिलाओं के धर्म का मार्ग हमेशा खुला रखा। चाहे वह स्त्री विवाहित हो या अविवाहित विधवा या वैश्या।[7]

बुद्ध काल की महिलाओं के समान ही कौटिल्य के काल में भी महिलाओं की सम्मानीय स्थिति थी। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में स्त्रियों के विवाह के साथ–साथ उनका पुनर्विवाह और भरण – पोषण संबंधित नियमों का उल्लेख भी मिलता है। कौटिल्य स्त्रियों के विवाह के साथ–साथ विवाह – विच्छेद का नियम भी तय किये हैं।[8] महात्मा बुद्ध और कौटिल्य के विचारों से विपरीत मनु महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। मनु के प्रमुख विचार प्राचीन धर्मशास्त्र मनुस्मृति से प्रभावित था। मनु महिलाओं को वेदाअध्ययन से वंचित रखा। उनके संस्कार, वेद मंत्रों के उच्चारण से नहीं किए जाते थे। वेदों का ज्ञान न होने के कारण उनको ज्ञान शून्य माना जाता था।[9] मनु ने स्त्रियों की अपेक्षा सभी क्षेत्रों में कि उनका मानना था कि महिला अपने परिवार में संबंधित पुरुष पिता, पति, पुत्र, (वृद्धावस्था) तक के अधीन सदैव रहती है। उनको उन्हीं के अधीन जीवन व्यतीत करना होगा। इस प्रकार मनु ने ब्राह्मणवाद को ऊंचा उठने के लिए महिलाओं को पुरुषों की दासी बनाकर रख दिया।

मनु के काल में महिलाओं की समाज में स्थिति और अधिकार व शिक्षा में निरंतर ह्रास देखा गया है।[10]

अध्ययन का उद्देश्य, तरीके और सामग्री

1. मेरे द्वारा किए गए इस अध्ययन में बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा महिलाओं के संदर्भ में किए गए कार्यों का लघु रूप में अध्ययन कर बताने का प्रयास किया गया है।
2. क्या महिला सशक्तिकरण समाज व राष्ट्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर पाया है?
3. प्रस्तुत अध्ययन सामग्री विभिन्न समाचार पत्रों पुस्तक प्रकाशित पत्रों से एकत्र किया गया।

महिला शिक्षा एवं अधिकार में डॉ अंबेडकर का योगदान

प्राचीन काल से लेकर बुद्ध और कौटिल्य तक के समय का अध्ययन करके पता चलता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। उनका बौद्धिक व सामाजिक क्षेत्र में काफी विकास किया गया था, परंतु उसके बाद के काल में मनु की प्राथमिकता भारतीय समाज व्यवस्था में बहुत अधिक थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक व दयनीय थी। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा अपनी प्रसिद्ध कृति "हिंदू नारी का उत्थान एवं पतन" में (Rise and Fall of Hindu Women) स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मनु, पूर्व भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति शासन प्रशासन में समान रूप से भागीदार थी। मानसिक रूप से विकसित और जीवन गौरवपूर्ण था।[11]

बाबा साहब मनु काल स्त्रियों की स्थिति को लेकर काफी चिंतित थे। बाबा साहब ने तत्कालीन समय में भारतीय समाज व्यवस्था से कुछ समय के लिए ध्यान हटाकर महिला अधिकार को वापस दिलाने के हेतु ठोस कदम उठाये। बाबा साहब ने महिला सशक्तिकरण से संबंधित अपने लिखे जैसे – हिन्दु नारी का उत्थान एवं पतन, नारी एवं प्रतिक्रांति, रिडल ऑफ वीमेन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह ब्राह्मणवाद भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर हावी था और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों ने लिंग भेद के द्वारा स्त्रियों का अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। "साइमन डी व्यूवोइन" ने अपनी पुस्तक (सेकंड सेक्स) में लिखा है कि "महिला पैदा नहीं होती बनाई जाती है।"

अपने अध्ययन के द्वारा अम्बेडकर ने यह पता कर यह तर्क दिया कि बुद्ध कल गौतम बुद्ध के अनुयायियों में दो वर्ग थे। स्त्री और शूद्र, इन दो वर्गों के समाज में उभरने से इनका तो विकास हुआ लेकिन इन दो वर्गों से मनु और ब्राह्मण वर्ग इनको घृणा की दृष्टि से देखते थे, बौद्ध विहारों में उनके प्रवेश से ब्राह्मण धर्म की नींव हिल गई। अतः मनु ने बौद्ध की शिक्षा का प्रसार रोकने के लिए स्त्रियों की स्वतंत्रता पर रोक लगाई और उनको निम्न कारणों से आयोग्य साबित कर उसे समाज पंगु बना डाला।

बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को अपने महाड़ सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि "अपने को कभी अछूत मत समझना स्वच्छ जीवन जिया तुम्हारी आजादी पर कोई रोक नहीं है।"[12]

महिला स्वतंत्रता के बाद वाहक डॉक्टर अंबेडकर महिला और समाज के शोषित वर्ग को सम्मान पूर्वक जीवन जीने को प्रेरित करते हुए कहा था कि शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो। अंततः सफलता जरूर मिलेगी।

"अन्तदीपो भवः अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो।"

उनका मानना था कि शिक्षा और ज्ञान पर सिर्फ एक वर्ग या पुरुष का अधिकार क्यों है? यदि एक परिवार में पुरुष विद्या अध्ययन करता है तो वह ज्ञान सिर्फ उसी तक सीमित रहता है लेकिन अगर परिवार

में एक महिला ज्ञान अर्जन करती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।[13]

शिक्षा के माध्यम से ही हम ब्राह्मणवाद और पुरुष प्रधान व्यवस्था से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। बाबा साहब का मानना था कि महिलाये राष्ट्र व समाज की भावी निर्माता है। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक एक स्त्री की गर्भ में ही पलता है।[14]

शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए बाबा साहब ने धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव को न मानकर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के समान अनिवार्य निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा को संविधान के मौलिक अधिकार में वर्णित करना चाहते थे।[15] परंतु समर्थन के अभाव में उनका यह सपना अधूरा रह गया बाद में 2002 में 86 में संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने अनु0 21(क) को में इसे लागू किया। लेकिन इसका श्रेय बाबा साहब को नहीं मिला। महिला अधिकार के संदर्भ में डॉ0 अम्बेडकर ने बाल–विवाह जैसे रूढ़िवादी प्रथा पर भी प्रहार किया ,पत्नी कैसी हो यह जानने का अधिकार अगर पुरुष जाति को है, तो पति कैसा हो यह जानने का अधिकार महिला वर्ग को भी है। बाबासाहेब ने विवाह के साथ–साथ तलाक के अधिकार देने का भी पूरी वकालत की है।[16]

परिवार नियोजन का विचार भले ही स्वतंत्रता के बाद अवधारणा हो लेकिन इसकी अहमियत को बाबा साहब ने पहले ही बताया था बल्कि यह मुद्दा भी कहीं ना कहीं उनके निजी जीवन से प्रभावित था। बाबासाहेब यह मानते थे कि एक समृद्ध और सुखी परिवार के लिए दो बच्चे ही अच्छे हैं।[17]

परिवार के बेहतर संचालन के लिए उन्होंने परिवार नियोजन की जागरूकता से महिलाओं को अवगत कराया। आज के समय में जो सरकारी संस्थानों में प्रसूति अवकाश दिया जाता जा रहा है, यह भी बाबा साहब के प्रयास का ही फल है। गर्भावस्था के समय श्रमिक स्त्रियों को उनके काम से वंचित करना बाबा के चिंतन की बड़ी समस्या थी। राष्ट्र के विकास में महिला पुरुष दोनों आवश्यक है बच्चे भी भावी राष्ट्र निर्माता है। इसलिए उनके मां को भी प्रसव पूर्व वह प्रसवोपरांत बच्चों की बेहतर परवरिश और देखभाल के लिए उसको आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने प्रसूति अवकाश का समर्थन करते हुए 1928 में मुंबई विधान परिषद में इस विधेयक पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की और कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि इससे शासन पर भारी बोझ पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं उनके वेतन में कटौती के पक्ष में नहीं हूं।[18]

यह महिलाओं का अपना अधिकार है जिसे उनको मिलना चाहिए। जिस विचार को बाबा साहब अंबेडकर ने स्वतंत्रता पूर्व रखा था, वह स्वतंत्रता के बाद प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम (1961) के साथ संविधान में नीति – निर्देशक तत्वों के अनु0 42 का हिस्सा बना बनाया गया। इस विधेयक द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी भी महिला कर्मचारी को प्रसव या गर्भपात के दौरान 6 सप्ताह तक कार्य स्थल पर आने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

बाबा साहब का मानना था कि हिंदू शास्त्र अपने रूढ़िवादी नियमों की आड़ में स्त्री जात पर बहुत जुल्म किया है, अतः बाबा साहब द्वारा "हिंदू कोड बिल" के माध्यम से पितृसत्तात्मक बहुपत्नीवाद, लैंगिक भेदभाव पुत्र व पुत्री को संपत्ति का अधिकार आदि जैसे मुद्दों को लेकर आए। जब यह विधेयक संसद में पेश किया गया तो उस समय प्रशंसा से ज्यादा बुराइयां की गई।[19]

यह बिल 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में केंद्रीय विधि मंत्री रहते हुए संसद में रखा गया था, परंतु धार्मिक मतभेद के कारण इसका विरोध किया गया और यह पारित नहीं हो सका। (हिंदू कोड बिल) महिला सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक रूप से पहला कानूनी दस्तावेज था। जिसकी पहल बाबा साहेब द्वारा की गई थी इस बिल के पारित न होने के कारण बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में यह बिल 4 बार में पास हुआ 18 मई 1955 हिंदू विवाह बिल, 17 जून 1956, दलित उत्तराधिकार 25 अगस्त 1956, अल्पसंख्यकों के अधिकार 14 दिसंबर 1956 हिंदू अछूत मिलन पास हुआ यह बिल बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद पास हुआ जिसे वह अपने जीते जी देखना चाहते थे। महिलाओं के उत्थान व समाज व्यवस्था के परिवर्तन में जो दुख व कष्ट बाबा साहब ने उठाया वह उनकी तुलना में इतिहास में किसी नाम का मिलना मुश्किल है।[20]

भारतीय संसद में 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधित कर चल–अचल पैतृक संपत्ति में पुत्री व पुत्र के बराबर हिस्सेदार बनाया।

निष्कर्ष

भारतीय समाज निर्माता महिला अधिकार के उद्धारक भारतीय संविधान निर्माता मूकनायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं की आत्मसम्मान व अधिकार

की जो लड़ाई लड़ी है। उसकी प्रशंसा करना गलत नहीं है। बाबासाहेब ने महिलाओं से जुड़ी जिन भी समस्या पर ध्यान केंद्रित किया था। जिसके लिए इतना संघर्ष व आंदोलन किया आज इस वर्तमान समय में सरकार उन सभी समाधानों को एक–एक कर अपना रही है। किंतु इस सभी उपलब्धियों में बाबा साहब का जो योगदान है उसको दरकिनार कर दिया गया। बाबा साहब ने जिस परिवर्तनशील समाज की कल्पना की थी, आज स्वतंत्रता के 77 साल बाद उसकी छवि धुंधली नजर आ रही है। दिन प्रतिदिन समाज में जो निर्धनता बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब महिला, बलात्कार ,यौन उत्पीड़न आज चरम पर है। जातिगत भेदभाव आज भी समाज में बना है ,और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों को प्रभावित कर रहा है। निर्भया कांड की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी कि ऐसी अनगिनत घटनाएं हर रोज कहीं ना कहीं हो रही है। मणिपुर हिंसा कांड, कोलकाता के महिला डॉक्टर का बलात्कार जैसी दर्दनाक घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही है। अतः जिस स्वस्थ समाज व शिक्षित समाज का निर्माण का सपना बाबा साहब का था उसे और शक्ति से लागू और क्रियान्वना कर एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है तभी महिलाओं को समाज व राष्ट्र में एक आत्म सम्मान और अधिकार मिलेगा जिसकी वह वास्तविक हकदार है।

सन्दर्भ सूची

1. जाटव. डी.आर. (2004) डॉ0 अम्बेडकर : एक प्रखर विद्रोही। BCc प्रकाशन जयपुर पृ0–35
2. अम्बेडकर का सपना, उनामीउंदे, इसवहेचवज पद/2013/07/blog– p.B
3. अम्बेडकर डॉ0 भीम राव (1927) हिन्दू नारी का उत्थान एवं पतन
4. शरण डॉ0 विजय कुमार (2007) दलित अधिकार चेतना – गौतम बुद्ध सेन्टर
5. सिंह डॉ0 रामगोपाल– डॉ0 आ0का विशाल दर्शन
6. जैन अरविन्द (2011) औरत होने की सजा, राजकमल प्रकाशन
7. अम्बेडकर भीमराव हिन्दू नारी का उत्थान और पतन 2009 गौतम बुक सेन्टर दिल्ली पृ0–15
8. अम्बेडकर बाबा साहब, 2013 (तृतीय संस्करण) क्रान्ती और प्रतिक्रान्ति : बुद्ध अथवा कार्लमार्क्स ने नारी एवं प्रति क्रान्ति सम्पूर्ण वाड;यय, खण्ड–7 अम्बेडकर प्रतिष्ठान नई दिल्ली पृ0–335 –336
9. हिन्दू नारी उत्थान पतन पृ0– 14.
10. चौधरी आभालता, 2010 नारी स्वतंत्रता और डॉ0 अम्बेडकर में एसः विक्रम दलित महिलाये; इतिहास वर्तमान और भविष्य (संपादित), नटराज प्रकाशन दिल्ली पृ0–168.
11. मलिक डॉ0 चितरंजन (21 दिसम्बर 2013) डाॅ अम्बेडकर और महिलाओं का सशक्तिकरण विशेष अंक आई. एस.एस. एन. –2231–0185 वर्ल्ड फोकस (डॉ0 बी0 आर अम्बेडकर एवं सामाजिक न्याय) नई दिल्ली पृ0–70
12. गुप्ता चारू (9 जनवरी 2007) हिन्दुस्तानी मर्दो से आगे थी मर्दानी महिलाए।
13. अम्बेडकर भीमराव, 2009 हिन्दू नारी का उत्थान और पतन गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली, पृ0–14
14. चौधरी आभालता (उपरोक्त) पृ0–167
15. अम्बेडकर का सपना, उनामीउंदे, इसवहेचवज पद/2013/07/इसवह– चव
16. सुमन, मंजू, 2004, दलित महिलाँए, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली पृ0–42
17. पुरे मंजू चन्द्रिका, (2010) स्त्रियों के उत्थान में अम्बेडकर का योगदान, में एस. विक्रम , दलित महिलाएं : इतिहास वर्तमान और भविष्य (संपादित) नटराज प्रकाशन , दिल्ली पृ0–142
18. भारती अनिता, 2010 दलित एवं गैर– दलित स्त्री आन्दोलन डॉ0 अम्बेडकर का स्त्रीचिन्तन, में एस. विक्रम दलित महिलाएं : इतिहास वर्तमान और भविष्य (संपादित) नटराज प्रकाशन दिल्ली पृ0–56
19. मेघवाल कुसुम, 2008 हिन्दू कोड बिल और अम्बे0 तेज सिंह (संपादित), अम्बेडकरवादी विचारधारा और समाज स्वराज प्रकाशन, दिल्ली ।
20. नरवाल डॉ0 प्रेम कुमार : डॉ0 वी आर अ0 : संविधान निर्माण 1991